न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : स्वदीप सिंह
अध्यक्ष

अपील प्रकरण कमांक 4279–पीबीआर/2013 विरुद्ध आदेश दिनांक 10–10–2013 पारित द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश मोतीमहल ग्वालियर अपील प्रकरण कमांक आरईसी/32/10–11

मेसर्स एसोसियेटेड अल्कोहल एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड
खोडी ग्राम बडवाह जिला खरगोन म0 प्र0

..............अपीलार्थी

विरूद्ध

1 आबकारी आयुक्त म0 प्र0 मोतीमहल ग्वालियर
2 उपायुक्त, आबकारी डिवीजन फलाईंग स्काट
इंदौर जिला ग्वालियर

..............प्रत्यर्थीगण

श्री एस0 एन0 किरार, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक, प्रत्यर्थीगण

:: आ दे श ::
(पारित दिनांक 12 जून, 2014)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1899 (जिसे संक्षेप में बाद में केवल अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 (2) (ग) के अंतर्गत बने अपीलें पुनरीक्षण एवं पुनरावलोकन नियमों के नियम–2 (स) के अंतर्गत आबकारी आयुक्त, मध्य प्रदेश मोतीमहल ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 10–10–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी इकाई द्वारा परमिट कमांक 620 दिनांक 15–2–2010 से 10008.0 ब्रू0लि0 आर0एस0 स्प्रिट मद्य भण्डारागार डबरा

को भेजी गई । उक्त परेषण मध्य भण्डारागार डबरा पहॅुचने पर परेषण का सत्यापन किया गया और सत्यापन करने पर 9604.3 प्रू0लि0 मदिरा पाई गई । इस प्रकार 403.7 प्रू0लि0 मदिरा कम प्राप्त हुई । जबकि म0 प्र0 आसवनी नियम 1995 (जिसे संक्षेप में बाद में केवल आसवनी नियम कहा जावेगा) के नियम 6 (4) के अंतर्गत टेंकरों से 250 किलोमीटर से अधिक स्प्रिट के परिवहन पर 0.2 प्रतिशत की दर से 20.0 प्रू0लि0 मार्ग हानि घटाने पर 383.7 प्रू0लि0 अधिक मार्ग हानि होने के कारण उपायुक्त आबकारी, ग्वालियर द्वारा दिनांक 9–7–2010 को आदेश पारित करते हुये अपीलार्थी इकाई पर 1,72,665 रूपये शास्ति अधिरोपित की गई । उपायुक्त आबकारी, उडनदस्ता, ग्वालियर के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील आबकारी आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आबकारी आयुक्त द्वारा दिनांक 10–10–2013 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी इकाई के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि जिन परिस्थितियों में रेक्टीफाईड स्प्रिट के परिवहन मे मार्ग हानि हुई है वह परिस्थितियां अपीलार्थी इकाई के वश में नही थी, जैसे कि सड़क का खराब होना आदि । यह भी कहा गया कि रेक्टीफाईड स्प्रिट के परिवहन में निर्धारित मार्ग हानि से अधिक हुई मार्ग हानि से शासन को कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि शासन द्वारा जितनी रेक्टीफाईड स्प्रिट प्राप्त होती है उसी का भुगतान किया जाता है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आसवनी नियमों के नियम 8 (4) में आज्ञापक प्रावधान नहीं है कि अपीलार्थी इकाई पर शास्ति अधिरोपित की ही जाये । आबकारी उपायुक्त को निर्धारित मार्ग हानि से अधिक मार्ग हानि किन परिस्थितियों पर हुई है उन पर विचार कर आदेश पारित करना चाहिये था, परन्तु आबकारी उपायुक्त द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही नहीं किये जाने से उनके द्वारा पारित आदेश अवैधानिक आदेश है, जिसकी पुष्टि करने में आबकारी आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है।

4/ प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी इकाई को सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात आदेश पारित किया गया है ।

(2) अपीलार्थी मेसर्स एसोसियेटेड अल्कोहल एण्ड बेवरीज लिमिटेड बडवाह जिला खरगोन द्वारा प्रेषित ओ0पी0 मदिरा परेषण में अनुमत्य सीमा से अधिक मार्ग हानि (130 61) प्रू0लि0 पर आसवानी नियमों के नियम 8 (4) के प्रावधान अनुसार तत्समय देय अधिकतम ड्यूटी के तीन गुना अर्थात रूपये 450 प्रति प्रू0लि0 की दर से कुल 1,72,665 रूपये की शास्ति उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता ग्वालियर द्वारा आरोपित की गई है जो कि नियमानुसार सही है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आसवनी नियमों के नियम 6 (4) में टेंकरों से 250 किलोमीटर तक स्प्रिट के परिवहन में मार्ग हानि की निर्धारित सीमा 0.2 प्रतिशत है । अतः अपीलार्थी इकाई द्वारा 10008 0 प्रू0लि0 रेक्टीफाईड स्प्रिट के किये गये परिवहन में 20.0 प्रू0लि0 मार्ग हानि होना चाहिये थी, जबकि मार्ग हानि 403.7 प्रू0लि0 हुई है । इस प्रकार निर्धारित मार्ग हानि से 383.7 प्रू0लि0 रेक्टीफाईड स्प्रिट की मार्ग हानि हुई है । आसवनी नियमों के नियम 8 (4) में निर्धारित मार्ग हानि से अधिक मार्ग हानि होने पर शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है, अतः उपायुक्त आबकारी द्वारा अपीलार्थी इकाई पर 1,72,665 रूपये की शास्ति अधिरोपित करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है । इस संबंध में अपीलार्थी इकाई द्वारा प्रस्तुत यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि जिन परिस्थितियों में निर्धारित सीमा से अधिक मार्ग हानि हुई है वे परिस्थितिया अपीलार्थी इकाई के वश में नहीं थी और निर्धारित सीमा से अधिक मार्ग हानि होने से शासन को कोई हानि नहीं हुई है। क्योंकि प्रथमतः अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा उन परिस्थितियों का विवरण देते हुये प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि जिन परिस्थितियों में मार्ग हानि हुई है, वह अपीलार्थी इकाई के वश में नहीं थी । द्वितीय उपरोक्त तर्को के आधार पर आबकारी उपायुक्त द्वारा विधि के प्रावधानों के अनुरूप की गई कार्यवाही को अवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता है। दर्शित परिस्थिति में आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–10–2013 वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर